

दिनांक 26.08.2014 को ओ०एफ०बी०जी०सी०एम०-III की मुख्य

बैठक में उठाए गए मुद्दे

प्रस्ताव 1. यूनियनों की मान्यता के लिये सदस्यता सत्यापन महोदय, अबसे 7 वर्ष पूर्व सदस्यता सत्यापन किया था प्रत्येक तीन वर्ष में सदस्यता सत्यापन का नियम है सदस्यता सत्यापन लंबे समय से न होने के कारण बहुत से यूनियनों में असंतोष व्याप्त हो रहा है तथा मान्यता के सदस्यता सत्यापन के लिये न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है कानूनी प्रक्रिया कम करने के लिये सदस्यता सत्यापन अविलंब किया जाय। डी०एफ०एल०यू० अरबनकांडू की यूनियन के सदस्यता सत्यापन के लिये न्यायालय के निर्णय को अविलंब लागू किया जाय। कोर्ट केस आदि के कारण जहा जे०सी०एम० कार्य नहीं कर रही है वहाँ मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ 2 मान्यता प्राप्त महासंघों से सम्बन्ध यूनियन से वार्ता की जाये।

उत्तर 1. सदस्यता सत्यापन नवम्बर माह तक पूरा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

प्रस्ताव 2. ओ० एफ० रिक्रूटमेंट सेंटर का गठन शीघ्र किया जाय : - महोदय, आयुध निर्माणियों के महाप्रबंधक एवम् वरिष्ठ महा प्रबन्धक का काफी समय रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में बर्बाद होता है और वह उत्पादन संबंधी कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते है इसलिये आवश्यक है कि रिक्रूटमेंट सेंटर का गठन अविलंब किया जाय।

उत्तर 2. ओ0एफ0बी0 रिक्रूटमेंट सेंटर के लिए ओ0एफ0बी0 ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। रक्षा मंत्रालय के अप्रूवल के लिए भेजा गया है शीघ्र ही गठन हो जायेगा।

प्रस्ताव3. लेबर कर्मचारियों की भर्ती अविलंब करने के संबंध में : - महोदय एक वर्ष पूर्व विभिन्न निर्माणियों को लेबर के पद स्वीकृत किये गये थे बहुत अधिक संख्या में आवेदन आने के कारण निर्माणियों के महाप्रबंधक भर्ती प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं अतः ओ0एफ0आर0सी0 के माध्यम से लेबर के भर्ती की प्रक्रिया को अविलंब पूरा किया जाये।

उत्तर3. रिक्रूटमेंट सेंटर के गठन के बाद लेबर की भर्ती के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

प्रस्ताव4. चार्जमेन का एस0 आर0 ओ0 परिवर्तन के संबंध में : - पिछले कई वर्षों से एस0आर0ओ0 में परिवर्तन के लिए विचार किया जा रहा है परन्तु अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है एफ0इ0डी0, ए0एम0डी0,सी0एम0डी0, ट्रेसर एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर को भी मैकेनिकल चार्जमैन में पदोन्नति के लिय सम्मिलित किया जाना है परन्तु एस0आर0ओ0 परिवर्तन का प्रस्ताव फाइनल नहीं हो पाने के कारण इन कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है अतः एस0आर0ओ0 में अतिशीघ्र परिवर्तन किया जाय।

उत्तर4. एस0आर0 ओ0 परिवर्तन की कार्यवाही चल रही है एक माह के अन्दर प्रपोजल M.O.D. को भेज दिया जायेगा।

प्रस्ताव5. ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0 सही ढंग से लागू करने के संबंध में:-

महोदय पिछली 2 बैठको से इस फोरम में कई सदस्यों ने ए०सी०पी० एवं एम०ए०सी०पी० को ग्रीवेन्स को उठाया है निर्माणियाँ अलग अलग ढंग से ए०सी०पी० एवं एम०ए०सी०पी० के सरकारी आदेशो का इन्टरपेटेशन कर रही है सभी निर्माणियों में सामान रूप से ए०सी०पी० एवं एम०ए०सी०पी० लागू करने के लिये एक वर्कशाप आयोजित की जाये जिसमें ओ०एफ०बी०, पी०सी०आफ ए० (फैक्ट्रीज) एवम् निर्माणियों के प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित किये जाये।

उत्तर 5. विचार विमर्श के बाद तय किया गया है ए० सी० पी० और एम०ए०सी०पी० के मामलों को निपटारा करने के लिए एक वर्क शाप आयोजित की जायेगी जिसमें सभी निर्माणियों के प्रशासनिक अधिकारी ओ०एफ०बी० पर्सनल डिवीजन के अधिकारी पी०सी०आफ ए के प्रतिनिधि तथा जे०सी०एम० सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा। प्रत्येक महासंघ को 20 दिन के अन्दर ए०सी०पी० एवं एम०ए०सी०पी० से सम्बन्धित समस्याओं को लिखित रूप से देना होगा।

प्रस्ताव 6. डिफेन्स एक्पो, सी० एम० ओ० कॉन्फ्रेन्स, एच० ओ० डी० कॉन्फ्रेन्स, तथा अन्य कार्यक्रमो में मान्यता प्राप्त महासंघों को भी आमंत्रित किया जाता था। परन्तु वर्तमान समय में इस पर रोक लगा दी गयी है। पुनः आमंत्रित किया जाये ताकि कर्मचारियों का पक्ष भी रखा जा सके।

उत्तर 6. आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

प्रस्ताव 7. ट्रेड अप्रैटिस ट्रेनिंग के लिए 55 वें बैच के लिए भर्ती प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ की जाये।

उत्तर 7. ट्रेड अप्रैन्टिस भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही चल रही है नवम्बर तक पूरी की जायेगी।

प्रस्ताव 8. For Grade Structure को समय से लागू नहीं किया गया। 2013, 2014 में For Grade Structure की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई तथा नोशनल पदोन्नति दी गयी है जिसके कारण कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ 01.01.2006 के स्थान पर वर्तमान समय से दिया जा रहा है एच0ए0पी0पी0 एवम् ओ0एफ0 देहरादून में HS II, HS I तथा MCM में पदोन्नति पाये कर्मचारियों को 01.01.2006 से एरियर सहित पदोन्नति का लाभ प्रदान करने के आदेश दिये जाये क्योंकि इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है।

उत्तर 8. फैक्ट्रीज से कमेन्ट लेकर कार्यवाही की जायेगी।

प्रस्ताव 9. M C M को Bunching benefit, C D S R.P. Rules के पैरा 7 के अनुसार प्रदान करने के आदेश OFB एवम् PC of A (Factories) के दिशा निर्देश दिये गये। परन्तु बहुत सी निर्माणियां में यह लाभ प्रदान नहीं किया गया। पुनः दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करे तथा आर्डिनेन्स फैक्ट्री मेडक में यह लाभ प्रदान करने के बाद कटौती की जा रही है इस पर रोक लगाई जाये।

उत्तर 9. आर्डिनेन्स फैक्ट्री मेडक से कमेन्ट लिए जायेगे तथा इस सम्बन्ध में दो बार पत्र जारी हो चुका है कौन-कौन सी निर्माणी इसे लागू नहीं कर रही है उनके नाम दिये जाये ताकि उन्हे फिर से दिशा निर्देश जारी किये जा सकें।

प्रस्ताव 10. HS to HS - I Movement 01-01-2006 को Placement मानते हुए ACP-II MACP -III ग्रेड पे 4200 में प्रदान किया जाना चाहिए इस सम्बन्ध में कोलकाता कैट का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में आया है। तथा पूर्व में भी Bifurcation of Post के समय पदोन्नति नहीं मानने के Court के निर्णय है अतः उसे अविलम्ब लागू किया जाये तथा अन्य निर्माणियों में भी लागू किया जाये ताकि Litigation कम से कम हो।

उत्तर 10. मामला न्यायलयों में विचाराधीन है।

प्रस्ताव 11. अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में अनेक त्योहार होने के कारण अवकाश है अतः औद्योगिक कर्मचारियों को सितम्बर माह का वेतन 30 सितम्बर तक करने के दिशा निर्देश दिये जाये। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्वमाह का वेतन भुगतान कर दिया जाये जिससे कर्मचारियों को Festival से पहले भुगतान मिलने से त्योहार ठीक से मना सके।

उत्तर 11. चेयरमैन महोदय ने कहा कि नियमों को देखते हुए कार्यवाही की जायेगी।

प्रस्ताव 12. महोदय राज्यभाषा कैडर की पदोन्नति कई वर्षों से SRO परिवर्तन न हो पाने के कारण नहीं हो पा रही है हिन्दी अधिकारी के पद रिक्त होने से निर्माणियों में राजभाषा का कार्य प्रभावित हो रहा है अतः चेयरमैन महोदय अपने स्तर पर अविलम्ब कार्यवाही करे जिससे राजभाषा कैडर की पदोन्नति सुनिश्चित हो सके।

उत्तर 12. राजभाषा केंद्र का एस0आर0ओ0 रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है कुछ कमेंट्स माँगे थे जो कि भेज दिये गये है शीघ्र कार्यवाही करने के लिए रक्षा मंत्रालय से वार्ता की जायेगी।

प्रस्ताव 13. लम्बे समय से विचाराधीन पीस वर्क कर्मचारियों का ओ0 टी0 ए0 इन्क्रीमेंटल पे पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है वर्तमान समय में इस सम्बन्ध में एक **Sub Committee** जी राजीव गुप्ता सदस्य ओ0एफ0वी0 की अध्यक्षता में गठित की गई है। दिनांक 14.08.2014 को एक मीटिंग भी हो चुकी है। स्टाफ साइड ने सभी नियम तथा अपने विचारों से अवगत भी कराया है निवेदन है कि अतिशीघ्र कार्यवाही की जाये **Long Pending Issue** जिससे समाप्त हो सके।

उत्तर 13. इन्क्रीमेंटल पे पर ओ0टी0ए0 देने के लिए श्री राजीव गुप्ता मेम्बर टी0 एण्ड सी0 के चेयरमैनशिप में कमेटी गठित कर दी गई है एक बैठक 14.08.14 को सम्पन्न हो गयी अगली बैठक शीघ्र होगी और Proposal OFB के द्वारा रक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

प्रस्ताव 14. औद्योगिक कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति बनाने के सम्बन्ध में:-

महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विगत कुछ वर्षों से सेमी स्किल्ड ट्रेड्स की भर्ती **All india Basis** पर हो रही है और अपने घरों से काफी दूर North के कर्मचारी South में और South के North में कार्य कर रहे है कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए एक स्थानान्तरण नीति बनाई जाये।

उत्तर 14. चेयरमैन महोदय ने कहा कि स्थान्तरण नीति पर आगे विचार किया जायेगा निर्माणी आधारित पोस्ट होने के कारण नीति बनाने में कठिनाई है।

प्रस्ताव 15. **Cader Review**:- विभिन्न कैडर के कैडर रिव्यू प्रपोजल रक्षा मंत्रालय या **Defence Finance** में विचाराधीन है। उस पर शीघ्र कार्यवाही कराने की कृपा करें ताकि 7th पे कमीशन के पूर्व कैडर रिव्यू हो सके।

उत्तर 15. कैडर रिव्यू प्रपोजल रक्षा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के वित्त विभाग में विचाराधीन है।

प्रस्ताव 16. पीस वर्क कोरिलेशन का लाभ 1 जनवरी 2006 से कर्मचारियों को दिये जाने के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही की जाये।

उत्तर 16. प्रपोजल फाइनेन्स इम्प्लेकेशन के साथ रक्षामंत्रालय को भेज दिया गया है।

प्रस्ताव 17. ट्रेड अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के प्रवाधानों में परिवर्तन करने का बिल लोक सभा में पारित हो चुका है जिसके अन्तर्गत संस्थान से ट्रेड अप्रैन्टिसेस की रिक्रूटमेन्ट के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है अप्रैन्टिसेस को नौकरी देने के सम्बन्ध में संस्थानों को नीति बनाने का अधिकार भी होगा। अतः औद्योगिक कर्मचारियों का **SRO** तदनुसार बनाया जाये और कानून बनने के बाद अपने ही ट्रेड अप्रैटिस को **Seniority** और **Fitment** के आधार पर भर्ती किया जाये।

उत्तर 17. ट्रेड अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के प्रावधानों की धारा-(22) में परिवर्तन का प्रस्ताव राज्य सभा से पास होना है पास होने के बाद SRO परिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रस्ताव 18. Small arms Group Fys का work Load

महोदय वर्तमान समय में Small arms Factory Group में वर्क लोड कर्मचारियों की संख्या की दृष्टि से काफी कम है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाये ताकि सभी कर्मचारियों को भरपूर कार्य उपलब्ध हो सके।

उत्तर 18. Small arms Factory को work Load उपलब्ध कराने के लिए OFB रक्षा मंत्रालय तथा MHA से लगातार वार्ता कर रहा है शीघ्र ही समस्या का निवारण होगा।

प्रस्ताव 19. ओ0ई0एफ0 फैक्ट्रीज में सैम्पल के आधार पर इंस्पेक्शन करने का निर्णय डी0जी0क्यू0ए0 द्वारा लिया गया है सप्लाई ड्राप पैराशूट तथा अन्य उत्पादों को 100% इंस्पेक्शन आवश्यक है अतः डी0जी0क्यू0ए0 के साथ विचार विमर्श करके 100% इंस्पेक्शन पूर्व की भांति कराने का कष्ट करें।

उत्तर 19. इस सम्बन्ध में अपर महानिदेशक OEF Group, DGQA से वार्ता करके हल निकालने का प्रयास करेंगे।

प्रस्ताव 20. मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिये नोडल फैक्ट्री सिस्टम को समाप्त किया जाये तथा सभी निर्माणियों को अपने वर्क लोड के आधार पर खरीददारी करने का अधिकार दिया जाये। ओ0पी0एफ0 कानपुर में पैराशूट उत्पादन में अनेकों कम्पोनेन्ट लगते हैं जो बाजार में कुछ ही फर्मों में उपलब्ध रहते हैं प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होने के कारण बहुत

कठिनाई का सामना करना पड़ता है एल.पी. के द्वारा प्रोक्योरमेंट करने का अधिकार निर्माणी को दिया जाये। ऐसा भी देखने में आता है कि सी० आफ ए० द्वारा प्रोक्योरमेंट की फाइल दो-दो माह तक क्लीयर नहीं होती है जिससे उत्पादन कार्य बाधित होता है अतः इन प्रक्रियाओं में सुधार किया जाना चाहिये।

उत्तर 20. OEF Group, के Material Procurement में आने वाली कठिनाई को दूर करने का कार्य अपर महानिदेशक महोदय करेगे।

प्रस्ताव 21. एफ०डी०आई० के सम्बंध में 16 जून 2014 को रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली के साथ भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की हुई वार्ता की जानकारी दी गई तथा चेयरमैन महोदय को आश्वासन दिया कि भविष्य में आने वाले चैलेंज के लिये महासंघ पूरी तरह से आपके साथ है तथा कर्मचारियों एवम् निर्माणियों तथा राष्ट्रहित में अन्य महासंघों को साथ लेकर कार्यवाही करने के लिये हमेशा तत्पर है।

(A) सौरभ कुमार कमेटी की अनुशंसा के आधार पर औद्योगिक कर्मचारियों को Whole Factories के कर्मचारियों की Combined Seniority के आधार पर पदोन्नति के लिए पहले Dry Run किया जायेगा इसके लिए HVF, O.F. Ambajhari तथा AFK में Dry Run करके देखा जायेगा कि Combined Seniority करने से क्या समस्याये आयेगी और उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

- (B) PLB के Calculation के सम्बन्ध में कहा गया है कि इस मामले की उच्च फोरम में उठाया जाय।
- (C) Litigation कम करने के लिए न्यायालय के निर्णयों को Similar Placed कर्मचारियों पर न्यायालय के निर्णय लागू करने पर विचार विमर्श किया।
- (D) सरकारी आदेशा Implement करने के लिए OFB द्वारा निर्माणियों को Forward किये जाते है उनमें Example सहित स्पष्टीकरण भेजे जाने चाहिए जिससे सरकारी पत्रों का गलत इन्टरप्रेटेशन निर्माणियों में न हो।

Agenda Points:-

- (1) **Examiner Charge man तथा अन्य कर्मचारियों को Incentive प्रदान करने के सम्बन्ध में:-**

निर्णय लिया गया श्री एस.सी. बाजपेयी वरिष्ठ महाप्रबंधक आर्डनैस फैक्ट्री चॉदा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा इस कमेटी में श्री हरिमोहन महाप्रबंधक HVF तथा Finance Division OFB के एक अधिकारी DDG/IR सदस्य होंगे तथा तीनों महासंघों से एक-एक प्रतिनिधि रहेंगे कमेटी अपनी रिपोर्ट 03 माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी। बोर्ड में विचार विमर्श के बाद कार्यवाही होगी।

- (2) **दरबान, जमादार दरबान, सूबेदार दरबान का मर्जर करने के सम्बन्ध में:-**

6th वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद दरबान, जमादार दरबान, सूबेदार दरबान का ग्रेड पे 1800 रू0 हो गया। अतः 01 जनवरी 2006 से तीनों पदों का मर्जर करके ACP और MACP लागू की जानी चाहिए विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही मर्जर के लिए M.O.D को भेज दिया जायेगा।

(3) वेट कैंटीन कर्मचारियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में :-

निर्माणियों से विचार विमर्श कर पोस्टें Sanction की जायेगी।

(4) सभी कर्मचारियों को Uniform प्रदान करने के सम्बन्ध में :-

जानकारी दी गयी Stitching के लिए Stitching Charge हेतु रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया।

(5) HRD तथा FTI को ट्रेनिंग सुविधा के लिए Structure एवं Faculties उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में:-

सदस्यों ने कहा कि HRD तथा FTI में ऐसे अधिकारी तथा स्टाफ POST किये जाते हैं जो उत्पादन तथा अन्य विभागों में कार्य करने की दृष्टि से अयोग्य होते हैं जिससे प्रशिक्षण कार्य प्रभावित होता है। इन हाउस ट्रेनिंग में भी औपचारिकता की जाती है।

चेयर मेन महोदय ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी कि सभी निर्माणी के महाप्रबंधकों को अप्रैल 2014 में HRD, FTI, OFIL को सुदण करने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए जायें।

साधू सिंह

दिनांक 26.08.2014

सदस्य, स्टाफ साइड

जे0सी0एम0 (तृतीय)

भा0प्र0मजदूर संघ